

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी
इण्डिया शेल्टर फाइनैस
कारपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 6वां
फ्लोर, प्लॉट नं0 15,
इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सेक्टर-44, गुरुग्राम
हरियाणा- 122003 क्षेत्रीय
कार्यालय-प्लॉट नम्बर
ए-94.95 प्रथम तल, आखलिया
विकास योजना, शिवगौरी
प्लाजा, जोधपुर जरिऐ
अधिकृत
विनय राणा

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती सलमा पत्नी श्री मो. अनवर
पता वार्ड नं. 15, सिगालो का बास, नागौर
2. श्री मो. अनवर पुत्र श्री गुलाम मो.
पता वार्ड नं. 15, सिगालो का बास, नागौर

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 228 सन् 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो अहकाम इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.11.2024	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण/ऋणी को रूपये 3,51,987/-ऋण सुविधा दिनांक 13.03.20216 एवम् दिनांक 22.12.2021 को आवासीय एवं OD ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जाकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में एस.आर. नं. 201101240092, अजमेरी गेट के अंदर, सिगालों का बास का एरिया 77.11 स्केवयर फिट सम्पत्ति प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया जाना प्रकट किया है तथा इस बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इन नियमों के तहत पुलिस इमदाद चाही है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत ऋण आवेदन-पत्र का अवलोकन करने से उक्त आवेदन-पत्र के संलग्न धारा 13(2) नोटिस के अवलोकन से उक्त नोटिस ऋणी मृतक मो. अनवर के वारिसान को जारी किया गया है। इस नोटिस में मृतक मो. अनवर के वारिसान का नाम दर्ज नहीं है, इसलिए इस नोटिस को विधिक नोटिस नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी कम्पनी को मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर उन उत्तराधिकारियों को उनके नाम से नोटिस दिया जाना था, जो नहीं दिया गया है। इस प्रकरण में अप्रार्थी मो. अनवर को बनाया गया है, जिसका प्रार्थना-पत्र में जारी नोटिस दफा 13(2) के अनुसार स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया गया यह प्रार्थना-पत्र विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौसल शुमार हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ (अरुण कुमार पुरोहित) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	